कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-64/2016-17/

दिनांक : /02/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- भैसियाछाना

जिला- अल्मोडा

विषय : क्षेत्र पंचायत भैसियाछाना का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **07** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 64/2016-17/ **दिनांक: /02/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

3- जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोड़ा

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, क्षे.पं.- भैसियाछाना, जनपद- अल्मोडा पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड़ विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री हरीश सिहं वनौता - प्रमुख, क्षेत्र पंचायत

(ii) श्री उमेद सिहं गैडा खण्ड़ विकास अधिकारी (प्रभारी)

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एल.एस. लिगंवाल, स.ले.प.अ.

(ii) श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ.

(iii) श्री मनोहर सिहं, लेखापरीक्षक

(iv) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 04.11.2016 से 11.11.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं.- भैसियाछाना, जनपद- अल्मोडा**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र :--

जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या :

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या :

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- योजनाओं की संख्या :- -

8- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

9- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : कोई नही

10- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय -व्यय विवरण के अनुसार

(अ) सामान्यः- भाग 3 के अनुसार

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत-भैसियाछाना,जनपद-अल्मोडा** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ., श्री एल.एस.लिगंवाल स.ले.प.अ. श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. एवं श्री मनोहर सिहं, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.11.2016 से 11.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग-4(ब)-2**
(i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर/ AIR-30.9/2014-15	1&2	1&2

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: - शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख: - शून्य

भाग-4(ब)-2

प्रस्तर 1:- ठेकेदार को ` 8.00 हजार का अधिक भुगतान एवं विना आदेशों के `2.22 लाख का व्यय किया जाना।

सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA) के अल्मोड़ा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी भैसियाछाना को इस शर्त पर(शर्त क्र.-11) ` 10.00 लाख स्वीकृत किए थे कि निर्माण कार्य को उक्त स्वीकृत लगत अथवा स्वीकृत प्राक्कलन की धनराशि जो भी न्यूनतम हो की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा,

इकाई द्वारा कराए गए उक्त कार्य सेराघाट रोड़ से धौलाछीना विकास खण्ड तक सी.सी. मार्ग व चार दीवारी का निर्माण से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन ` 10.00 लाख के सापेक्ष उक्त कार्य का ठेका ` 7.70 लाख के टेण्डर के आधार पर दिया गया था, किन्तु उक्त कार्य हेतु इकाई द्वारा ठेकेदार को ` 7.78 लाख का भुगतान किया गया था ( जो कि टेण्डर स्वीकृति की धनराशि से ` 8.00 हजार अधिक था)

आगे देखा गया कि ` 7.78 लाख के भुगतान के पश्चात शेष धनराशि ` 2.22 लाख का पुनः प्राक्कलन इसी योजना के अवशेष कार्य के नाम से बनाकर कार्यादेश के आधार पर कार्य सम्पन्न कराया गया था जो कि दिशा निर्देशों के विपरीत था।

इस संबंध में इकाई का ध्यान दिशा निर्देशों की ओर दिलाये जाने पर इकाई का कहना था कि भुगतान (अधिक) कार्य के मापन के आधार पर किया गया था, पुनः ` 2.22 लाख का प्राक्कलन तैयार कर कार्यदेश के आधार पर कार्य करने के संबंध में इकाई का कहना था कि चूंकि प्रारम्भ में कार्य हेतु ` 10.00 लाख स्वीकृत थे, इस हेतु शेष धनराशि हेतु प्राक्कलन तैयार कर धनराशि को इसी योजना (पूर्व में स्वीकृत योजना) के अवशेष कार्य पर व्यय किया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नही है। क्योंकि पूर्व में योजना बनाते समय पूरी योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए था जब पूर्व में टेण्डर आमंत्रित किए जाने चाहिए थे, जब पूर्व में जितने कार्य हेतु धनराशि मांगी गई थी तो समर्पण किया जाना चाहिए था या पुनः अवशेष धनराशि हेतु लिखित में आदेश प्राप्त करने चाहिए थे जो कि नहीं किया गया था, सिर्फ मौखिक आदेश के आधार पर कार्य सम्पन्न करा दिया गया था जो कि नियमों व निर्देशों के सर्वधा विपरीत था।

अतः उक्त प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग-4(ब)-2

प्रस्तर 2:- ` 3.64 लाख के कार्यों पर ` 2.00 लाख व्यय होने पर भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

प्रत्येक कार्य योजना (स्वीकृत) के कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष/निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराना एवं शासन से अवमुक्त धनराशि का उपयोगियता प्रमाण-पत्र भेजने की जिम्मेदारी संबंधित खण्ड विकास अधिकारी की होती है।

इकाई के लेखा अभिलेखों की वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि इकाई को उक्त वर्षों में क्षे.प.वि.निधि में ` 14.47 लाख एवं 13वें वित्त में (2014-15) ` 16.20 लाख प्राप्त हुए थे। उक्त धनराशियों से कराये गये कार्यो की नमूना जांच में पाया गया किः

1- 13वें वित्त एवं क्षे.प.वि.निधि में निम्न कार्य अभी भी अपूर्ण थे:

क्र.स.	मद का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गई धनराशि
1.	13 वां वित्त 2014-15	हरडा में पेयजल योजना मरम्मत	50,000/	16905/
2.	13 वां वित्त 2014-15	जोग्यूड़ा के भगियापातल में टैंक निर्माण पाइप लाइन योजना	50,000/	33110/
3.	क्षे.प.वि.निधि 2011-12	फटोसिया मे उमापति के धर से किशन के घर तक सी.सी. मार्ग	50,000/	29,940/
4.	क्षे.प.वि.निधि 2015-16	ग्रा. विनैली में सी.सी. मार्ग	70,850/	26,324/-
5.	क्षे.प.वि.निधि 2015-16	तोक सुप्योला में धार से किशन के घर की ओर सी.सी. मार्ग	67,850/	48,151
6.	क्षे.प.वि.निधि 2015-16	ग्रा.उटिया में किशन सिहं के मकान से गांव की ओर सी.सी. मार्ग	75,000/	45253/
		योग	3,63,700/	1,99,683/

उपरोक्त अपूर्ण कार्यों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई का कहना था कि कार्य क्र.स.-03 पूर्ण हो चुका है M.B. होना शेष है बाकी कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण करा लिए जायेगा ,

अतः ` 3.64 लाख के कार्यों पर ` 2.00 लाख व्यय होने के बाद भी कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

प्रस्तर 2:-(ब) अवशेष धनराशि ` 13.19 लाख को सर्मीपत न करना एवं ` 16.20 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का प्रस्तुत न किया जाना।

इकाई के 13वें वित्त एवं क्षेत्र पंचायत निधि के अभिलेखों में पाया गया कि 13वें वित्त से प्राप्त धनराशि में से वर्ष 2015-16 के अंत तक ` 7,54,510/ अवशेष थे जबकि 13वें वित्त का कार्यकाल समाप्त हुए 01 वर्ष के अधिक अवधि व्यतीत हो चुके थे नियमानुसार उक्त अवशेष धनराशि को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था, इसी प्रकार क्षे.प.वि.निधि में भी वर्ष 2014-15 के अन्त में ` 5,64,619/- अवशेष थे

13वें वित्त एवं क्षे.प.निधि के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में उक्त शासन से अवमुक्त धनराशि (` 16.20 लाख) एवं (14.47 लाख) के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अभी तक शासन को नहीं भेजे गये थे।

उपरोक्त तथ्यों के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा गया कि अवशेष धनराशि पूर्व स्वीकृत कार्य योजनाओं के सापेक्ष विवादित कार्यां की अवशेष धनराशि है इस धनराशि के सापेक्ष नई कार्य योजना तैयार की गई है, कार्य पूर्ण होते ही धनराशि का समायोजक कर शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

जबकि उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजने के संबंध में इकाई का कहना था कि उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही डी.पी.आर.ओ.(DPRO) कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र की तिथि(समयावधि) निर्धारित रहती है, उपभोग प्रमाण-पत्र समय पर न भेजने से अगली किस्त प्राप्त करने में भी अनावश्यक बिलम्व हो सकता है

अतः धनराशि समर्पित व करने व उपभोग प्रमाण-पत्र समय पर न भेजने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 3:- इकाई द्वारा ` 54,19,368/- के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषित न किया जाना ।

विकास खण्ड भैंसियाछाना, जनपद-अल्मोड़ा को विभिन्न निधियों/योजनाओं के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 हेतु निम्नानुसार धनराशि प्राप्त हुई :-

(i) **<u>राज्य वित्त आयोग निधि</u>**

धनराशि (` हज़ार में)

वित्तीय वर्ष				
किश्त संख्या	**2014-15**		**2015-16**	
	आवंटित धनराशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की तिथि	आवंटित धनराशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की तिथि
प्रथम किश्त	878	31.10.2014	971	30.08.2015
द्वितीय किश्त	878	31.03.2015	971	15.02.2016
योग	**1756**		**1942**	
कुल योग				**1756+1942=3698**

(ii) **<u>क्षेत्र पंचायत विकास निधि</u>**

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आवंटित धनराशि : `7,23,684
वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु आवंटित धनराशि : `7,23,684

कुल आवंटित धनराशि : ` 14,47,368

(iii) **<u>पी°एम°जी°एस°वाई°</u>**

क्र .सं.	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
01.	क्षतिग्रस्त सिंचाई योजना पंत लोक खास तिलाड़ी की मरम्मत कार्य	1,76,000	1,76,000

02.	क्षतिग्रस्त पेयजल योजना खास तिलाड़ी की मरम्मत कार्य	98,000	98,000
	कुल	**`2 ,74,000**	**`2 ,74,000**

इकाई द्वारा क्रम संख्या (i) एवं (ii) पर अंकित निधियों के अंतर्गत आवंटित कुल धनराशि `51,45,368/- के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी को प्रेषित किया जाना था | इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा आतिथि तक इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी को प्रेषित नहीं किया गया है |

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, (पी°एम°जी°एस°वाई°), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1216/कैश (चैक) एवं 1217/कैश (चैक) दिनांकित 05/11/2014 के माध्यम से जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्रम संख्या (iii) के अनुसार `2,74,000/- की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी | पत्रानुसार, इकाई द्वारा योजना की मरम्मत करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, (पी°एम°जी°एस°वाई°), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को भेजा जाना था | इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा आतिथि तक इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, (पी°एम°जी°एस°वाई°), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को प्रेषित नहीं किया गया है |

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शीघ्र ही उपयोगिता प्रमाण पत्रों को तैयार करके संबन्धित विभागों को भेज दिया जाएगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि इकाई द्वारा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात निर्धारित समयावधि के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संबन्धित विभागों को भेज दिया जाना चाहिए था |

अतः इकाई द्वारा `54,19,368/- के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रेषित न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 4:- विभिन्न बैंक खातों पर प्राप्त व्याज की धनराशि ` 3.59 लाख का राजकोष में जमा न किया जाना।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन ने अपने पत्रांक-347/वि.आ.निदे.(तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17-01-2013 के द्वारा समस्त पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि जो कि व्यय न हो पाने के कारण विभिन्न बैंक खातों में जमा रहती है पर अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि को शीघ्र ही राजकोष में जमा करने के निर्देश जारी किए गए थे।

इकाई के बैंक खातों एवं अन्य अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में विभिन्न बैंक खातों **पर** ` 6.59 लाख व्याज के रुप में प्राप्त हुए थे, जबकि 3.27 लाख वर्ष 2013-14 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि का अवशेष था, इस प्रकार इकाई को उक्त कुल ` 9.86 लाख को राजकोष(MH.-0049) में जमा करना था किन्तु इकाई द्वारा उक्त अवधि में मात्र ` 6.10 लाख को ही राजकोष में जमा कराया गया था जबकि ` 3.59 लाख अभी भी इकाई के बैंक खातों में अवशेष थे।

उपरोक्त संबंध में इकाई का ध्यान आकर्षित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताय गया कि ` 3.59 को वर्ष 2016-17 में राजकोष में जमा कर दिया जायेगा, जबकि ` 0.17 लाख के संबंध में कोई चालान प्रस्तुत नही किया गया था।

अतः ` 3.59 लाख ब्याज प्राप्ति को राजकोष में जमा न करने संबधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा है।

प्रस्तर 5-: इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष काटी गई रॉयल्टी ` 26,470/- को राजकोष में जमा न किया जाना ।

विकास खण्ड भैंसियाछाना, जनपद-अल्मोड़ा द्वारा विभिन्न निधियों/योजनाओं के अंतर्गत कराये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों से निम्नानुसार रॉयल्टी की कटौती की गई:-

क्रम सं.	निधि का नाम	कार्य का नाम	वित्त वर्ष	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	काटी गई रॉयल्टी)` में(
1	राज्य वित्त आयोग	विकास खण्ड सभागार में टाइल आदि कार्य	2014-15	2.28	2.28	1766
2	राज्य वित्त आयोग	प्रा॰पा॰सुपई से शक्तेश्वर मन्दिर की ओर सीसी.मार्ग निर्माण.	2014-15	1.0	1.0	3294
3	राज्य वित्त आयोग	ग्रापं.नौगांव के कनारीछीना से . कुनखेत ग्राम की ओर खड़ंजा एवं सी.सी.मार्ग निर्माण	2014-15	1.5	1.5	4873
4	राज्य वित्त आयोग	ग्राम पंशील के शील गाँव में . बास्केटबाल खेल मैदान निर्माण	2015-16	2.5	2.5	5550
5	राज्य वित्त आयोग	ग्राम पं छानी में बिन्सर नदी.के तट पर क्रियाशाला स्थल निर्माण	2015-16	1.5	1.5	2469
6	विधायक निधि	ग्राम दियारी तोक में पम्पिंग पेयजल पुर्ननिर्माण कार्य	2014-15	4.0	4.0	1551
7	विधायक निधि	ग्राम सभा डूँगरी में जनमिलन केन्द्र का निर्माण	2014-15	2.5	2.5	6017
8	विधायक निधि	रा॰प्रा॰वि॰धौलछीना की विशेष मरम्मत कार्य	2015-16	2.0	2.0	950
			कुल धनराशि	**17.28**	**17.28**	**26470**

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार 08 निर्माण कार्यों के सापेक्ष काटी गई रॉयल्टी `26470/- को आतिथि तक राजकोष में जमा नहीं कराया गया है |

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि शीघ्र ही काटी गई रॉयल्टी की धनराशि को चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया जाएगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान करते समय ही बिलों से रॉयल्टी की कटौती की जाती है जिसे तत्काल ही चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था |

अतः इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष काटी गई रॉयल्टी की धनराशि `26470/- को आतिथि तक राजकोष में जमा न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 6:- कार्यादेशों में दिए निर्देशों के विपरीत ` 4.50 लाख के कार्यों को सम्पन्न कराना,

कार्यादेश में जारी नियमों के अनुसार ही कार्य सम्पन्न कराने का दायित्व सबंधित कर्मचारी /अधिकारी का होता है जिसके नाम से कार्यादेश जारी किए जाते है साथ ही पत्रावली में कार्य से संबंधित समस्त अभिलेखों पूर्ण करना, न चस्पा करना भी एक महत्वपूर्ण/ अवाश्यक होता है।

इकाई के 13वें वित्त से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ` 4.50 लाख की दो योजनाएं

1. ग्राम सभा शील के अनु.जा. वस्ती धारी में पेयाजल योजना मरम्मत एवं टैंक निर्माण कार्य ` 2.25 लाख
2. ग्राम सभा शील के अनु.जाति वस्ती छाना में पेयजल योजना मरम्मत एवं टैंक निर्माण कार्य, स्वीकृत धनराशि ` 2.25 लाख स्वीकृत थी जिनसे संबंधित पत्रावलीयों में निम्न कमियां पाई गई हैः

1. कार्यदेशों के विन्दु क्रमांक-7 में निर्देशित किया गया था कि मजदूरी पर लगाये जाने वाले मजदूरों में महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए किन्तु किसी भी कार्य पर महिला मजदूरों को नही रखा गया था, जो कि निर्देशों का उल्लंधन था।
2. एक मई को मजदूर दिवस होने के कारण इस दिन मजदूरों को कार्य पर नहीं लगाया जाना चाहिए था किन्तु दोनों ही कार्यों पर 1मई को मजदूरों से कार्य कराया गया था।
3. दोनों ही योजनाओं से संबंधित मस्टररोल पर पूर्ण विवरण जैसे उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर ग्राम पंचायत/ग्रा.वि. आधिकारी के हस्ताक्षर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि इत्यादि नही दर्शाये गये थे।

   लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का विन्दुवार उत्तर था कि उक्त नियमों का भविष्य में पालन किया जायेगा।

   इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त विन्दुओं का पालन कार्य कराते समय रखा जाना चाहिए था।

   अतः ` 4.50 लाख के कार्यों में कार्योदेश में दिए गए निर्देशों का पालन न करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

<u>भाग 4(ब)-II</u>

प्रस्तर 7:- त्रुटिपूर्ण विलों पर ` 8.57 लाख का भुगतान करना एवं ` 18.74 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

कोई भी कार्य चाहे श्रमिकों द्वारा किया जाय या मशीन द्वारा किया जाय, पर अवधि(कब से कब तक) आवायक रुप से अंकित होनी चाहिए,

इकाई की मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत दो कार्य (1) ग्राम दिगोली में दूनीगाड़ से निराली तक सी.सी. मोटर मार्ग निर्माण एवं (2) ग्राम पल्यूं में गैराड़ गोलू मंदिर में टियरी कूना तक सी.सी. मोटर मार्ग निर्माण स्वीकृत(2014-15) किये गये थे, दोनों योजनाएं मनरेगा से युगभितीकरण कर (17.50+17.50) पूर्ण की जानी थी, इन योजनाओं को पूर्ण करके संबंधी शर्तो में शर्त क्र.02 में स्पष्ट निर्देश थे कि कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर ग्रा.प. में पंजीकृत श्रमिकों एवं जाबकार्ड धारक मजदूरों द्वारा कराया जायेगा, किन्तु अधिकांश कार्य जे.सी.बी. मशीन द्वारा कराया गया था।

आगे देखा गया कि मशीन द्वारा कराये गये कार्यों के प्रस्तुत विल संख्या 192 प्रस्तुत बिल से 001)193 में 24.07.2015 को 08 दिन का 31.07.2015 को 05 दिन का दर्शाया गया है, जबकि 06.10.2015 को 07 दिन एवं 07.10.2015 को(9+8) 17 दिन के प्रस्तुत किये गये हैं। इसी प्रकार (कार्य क्र.-02मे) 10.08.2015 को 06 दिन 11.08.2015 को 04 दिन तथा 07.10.2015 को (9+4+8) 21 दिन के बिल प्रस्तुत किए गए है, किन्तु किसी भी विल पर उक्त अवधि के संबंधित तिथि(कब से कब तक) अंकित नही की गई है,एवं न ही जे.सी.बी. मशीन धारक द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु दिए गए आवेदन पर भी उक्त विलों से संबंधित अवधि अंकित नहीं की गई थी,

उपरोक्त के अतिरिक्त लेखापरीक्षा तिथि तक भी दोनों कार्य पूर्ण नहीं हो पाये थे,

उपरोक्त तथ्यों की ओर लेखापरीक्षा में इकाई का ध्यान दिलाये जाने पर इकाई का कहना था कि जी.सी.बी. मशीन का भुगतान योजना मद से कराया गया था श्रमिकों को कटिंग कार्य कराये जाने पर व्यय अधिक हो रहा था, बिलों पर अवधि (तिथियां) अंकित नही करने के संबंध में इकाई का कहना था कि कार्य पूर्व से कराये गये थे, त्रुटिवंश अवधि अंकित होने एवं रह गई थी जिसे सुधार किया जायेगा, जवकि कार्यों के अपूर्ण रहने पर इकाई का कहना था कि सोलिंग एवं सी.सी. कंकरीट के अतिरिक्त रोड का कार्य पूर्ण हो चुका है,

इकाई के तथ्यों को मान्य नही किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी विल भुगतान करने से पूर्व तिथियों की जांच करना अनिवार्य होता है, यदि विल में कोई त्रुटि/कमी रह गई हो तो उसे ठीक कराया जाना चाहिए था, तिथि न होने से विल संदिगध हो जाते है, साथ ही कार्य प्रारंभ हुए लगभग डेढ वर्ष व्यतीत होने पर भी कार्य पूर्ण नहीं होना कार्य के प्रति इकाई की शिथिलता को दर्शाता है।

अतः इकाई द्वारा त्रुटिपूर्ण विलों पर ` 8.57 लाख का भुगतान करने व ` 18.74 लाख व्यय होने के उपरान्त भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड़ विकास अधिकारी **भैसियाछान**, **जिला- अल्मोडा,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।